न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

राजस्व मूल वाद संख्या 112/2021

वादीगणः–

1. ओमप्रकाश छाजेड पुत्र श्री भॅंवरलाल जाति ओसवाल
2. अशोक कुमार छाजेड पुत्र श्री भॅंवरलाल जाति ओसवाल
3. भॅंवरलाल छाजेड पुत्र श्री बिरधीचन्द छाजेड जाति ओसवाल
   निवासीः कल्याणपुरा, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर, हाल 1/5 राजू मेंशन घाटकोपर (ईस्ट) मुंबई।
4. सुमित्रा देवी पत्नी श्री सोहनलाल बोथरा जाति ओसवाल
5. संगीतादेवी पुत्री पारसमल बोथरा जाति ओसवाल
   निवासीः– कालबादेवी रोड, मुंबई हाल हाल 1/5 राजू मेंषन, घाटकोपर (ईस्ट) मुंबई।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपुत
2. जालमसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपुत
3. गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपुत
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपुत
   निवासीगणः ग्राम चौपासनी जागीर, पॅंवार कृषि फार्म, तहसील व जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागणः–

वादी की ओर से श्री सुनील व्यास एवं श्री अमित दाधिच

प्रतिवादीगण की ओर से श्री भूपतसिंह जोधा

आदेश **दिनांक** 13-02-2024

वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया और निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि ग्राम चौपासनी जागीर तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। जिसके खसरा नम्बर 323/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम है। वादीगण ने अपनी भूमि के पडौस के रूप में पूर्व दिशा में नारायणदास वगैरा की भूमि खसरा नम्बर 326/126, पश्चिम दिशा में

13/2/24

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) सत्यमेव जयते

श्रीमती कमलकंवर की भूमि खसरा नम्बर 125, उत्तर दिशा में श्री प्रकाष चन्द बोहरा वगैरा की भूमि खसरा नम्बर 327/126 एवं दक्षिण में श्रीमती सुमित्रा देवी खसरा संख्या 324/126 अंकित की है। वादीगण ने अपने वाद में यह भी अंकित किया है कि पूर्व में यह भूमि श्री लिछमणसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह की खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 126 की रही है। जिसका कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा है। यह खसरा नम्बर वाली भूमि लिछमणसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह के देहावसान के पश्चात उसके वारिसान झूंझार सिंह के नाम इन्द्राज हुई। झूंझार सिंह पुत्र श्री सिमरथ सिंह ने यह भूमि खेत खसरा नम्बर 126 कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा दिनांक 6–4–1972 को खींवराज पुत्र श्री सोहनराज बोहरा बाडमेर वालों को जरिये पंजीबद्व बेचान के बेचान कर दिया। खींवराज बोहरा पुत्र श्री सोहनराम बोहरा द्वारा उक्त भूमि में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण ओमप्रकाष छाजेड वगैरा को दिनांक 15–1–1994 को पंजीबद्व बेचान के द्वारा बेचान कर खसरा नम्बर 323/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि पर वक्त खरिद के काबिज मालिक चले आ रहे है।

2– यह है कि वादीगण ने अपने वाद में यह भी जाहिर किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह बहुत तेज एवं लडाकू प्रवृति का व्यक्ति है उसने वादीगण की उक्त भूमि पर फरवरी 2000 से जबरन कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से कोई हक या अधिकार या हिस्सा निहित नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वह वादग्रस्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेंवे तथा कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर देवें। दिनांक 13–6–2008 को आखिरी बार कब्जा सुपुर्द करने का प्रतिवादीगण को कहा परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को मौके पर कब्जा हटाने से साफ इनकार कर दिया। इस कारण वादीगण को यह वाद बरखिलाफ प्रतिवादीगण पेश करना पडा। वादीगण ने अपने वादपत्र में यह इस्तदुआ चाही है कि वादीगण को ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 323/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की बेदखली की डिक्री पारित किया जाकर वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

3– यह है कि प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह कथन किया कि वादीगण ने जिन पडौस का उल्लेख किया है, उन पडौस के बीच खसरा नम्बर 323/126 जैसा कोई खसरा स्थित नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह भी कथन किया कि खसरा नम्बर 323/126 की कोई भूमि का न तो खातेदार है और न ही उनका कोई मालिकाना अधिकार है। वादीगण नें यदि राजस्व रेकर्ड में कोई मिलावटी इन्द्राज करवाये है तो उनसे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा उनकी कोई कानूनी अहमियत भी नहीं है। वादीगण ने जिस जमाबंदी का उल्लेख किया है, उस जमाबंदी के इन्द्राज बिना किसी आधार के किए हुए है।

4– यह है कि वादीगण ने अपने वाद के विशेष कथन में यह उल्लेखित किया है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व बेदखली का कोई अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व बेदखली हेतु काबिल चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण स्वर्गीय लिछमणसिंह के जीवनकाल से ही उनका शान्तिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण के इस खेत के अलावा अन्य खसरा नम्बर 127 मिलाकर चारों और पट्टियां खड़ी की हुई है तथा फाटक लगी हुई है। इन खेतों पर 15–20 मकानात बने हुए है जिसमें वर्षो पूर्व बिजली एवं पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। वादीगण अथवा खींवराज का वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का इस भूमि पर मुखालपाना कब्जा पुख्ता हो चुका है एवं प्रतिवादीगण के अनुसार वे इस भूमि के कानूनी खातेदार बन चुके है तथा इस आशय

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

की घोषणा के साथ काउण्टर क्लेम पेश किया है। प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 126 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा मौजा चौपासनी जागीर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

5— यह है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के जवाबदावा का जवाबबुल जबाब एवं प्रतिदावा का जवाबदावा पेश किया। वादीगण ने अपने जवाबुल जवाब में प्रतिवादीगण के जवाबदावे का खण्डन किया। वादीगण ने अपने जवाबुल जवाब में यह कथन उल्लेखित किया कि वादीगण के पक्ष में जो रजिस्ट्री है उसमें पडौस सही अंकित किये गये है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर गैरकानूनी कब्जा जारी रखने का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विशेष कथन का जवाब दिया है और कहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा सर्वथा गलत, निराधार, महत्वहीन व गैरकानूनी तथ्य उल्लेखित किये है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से यह जाहिर है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर मुखालपाना/अग्रिम कब्जा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए किसी स्थिति में प्रतिवादीगण का इस भूमि से संबंधित खातेदार बनने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। इसलिए प्रतिवादीगण का यह काउण्टर क्लेम अविलम्ब खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण का वाद अविलम्ब स्वीकार फरमाया जावे।

6— यह है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम एवं वादीगण द्वारा जवाबदावा व प्रतिदावे का जवाबबुल जवाब का अवलोकन कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की प्लीडिंग के अनुसार तनकियात कायम की गई जो निम्न है:—

1— आया वादीगण खसरा नम्बर 323/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मौजा चौपासनी जागीर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाये जाने एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
(जिम्मे वादीगण).

2— आया वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जा किए जाने से बेदखली की तिथि तक शास्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
(जिम्मे वादीगण).

3— आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाये जाने के अधिकारिणी है। (जिम्मे वादीगण).

4— आया वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादीगण).

5— आया प्रतिवादीगण मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)

6— आया वादीगण का वाद विधिसम्मत होने से वादीगण का वाद लाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। (जिम्मे वादीगण).

7— अनुतोष

7— यह है कि वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 वर्तमान जमाबंदी , प्रदर्श 2 खतौनी बंदोबस्त, प्रदर्श 3 सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रदर्श 4 बयान झूंझार सिंह प्रदर्श 5 सक्सेसन आवेदनपत्र, प्रदर्श 6 उजरदारी किशोरसिंह, प्रदर्श 7 उजरदारी निर्णय, प्रदर्श 8 नामान्तरकरण लिछमणसिंह, प्रदर्श 9 नामान्तरकरण झूंझार सिंह, प्रदर्श 10 से 13 गिरदावरी, प्रदर्श 14 बेचाननामा बहक खींवराज, प्रदर्श 15 जमाबंदी, प्रदर्श 16 व 17 जमाबंदी खाता लिछमणसिंह, प्रदर्श 18 जमाबंदी खाता झूंझार सिंह, प्रदर्श 19 व 20 जमाबंदी खाता खींवराज, प्रदर्श 21 से 34 ढाल बांच,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(दक्षिण)

प्रदर्श 35 राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय प्रतापसिंह बनाम पीयूष वगैरा दिनांक 16–6–2008, प्रदर्श 36 एवं 37 नकल प्रार्थनापत्र, प्रदर्श 38 बेचाननामा बहक वादीगण, प्रदर्श 39 नामान्तरकरण संख्या 250 की प्रमाणित प्रति बहक वादीगण पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज प्रदर्श ए–1 मुआवजा प्रार्थनापत्र सिमरथसिंह, प्रदर्श ए–2 बेचान दस्तावेज दिनांक 6–4–1972, प्रदर्श ए–3 रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, प्रदर्श ए–4 व प्रदर्श ए–5 लिस्ट जागीर चौपासनी, प्रदर्श ए–6 पसयतेदार चौपासनी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। वादीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 1 ओमप्रकाष छोजेड, पी.डब्ल्यू. 2 ओमप्रकाश, पी डब्ल्यु 3 श्रीमती सुमित्रा देवी, पी.डब्ल्यू. 4 विजय चौधरी के बयान करवाये। प्रतिवादीगण की ओर से डीडब्ल्यू 1 जालमसिंह के बयान करवाये गये।

उपरोक्त वाद जवाबदावा एवं जवाबुल जवाब को पढा गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य को भी पढा गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। मेरा निर्णय तनकी बिन्दुवार निम्न है:–

1– तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस तनकी को साबित करने के क्रम में दस्तावेज बेचाननामा प्रदर्श 38 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की एवं वादीगगण के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 250 प्रदर्श 39 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। जिससे यह साबित होता है कि वादीगण उक्त भूमि की क्रेता है एवं जमाबंदी प्रदर्श 1 से यह भलीभांति साबित है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि की रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण ने अपने इस खातेदारी एवं कब्जे को साबित करने के क्रम में स्वयं के बयान पी.डब्ल्यू. 1 तथा पीडब्ल्यू 2 तथा पी.डब्ल्यू. 3 एवं पी डब्ल्यु 4 के बयान करवाये गये। वादीगण ने अपने बयान में अपने वाद की ताईद की है। वादीगण के कब्जे के सम्बन्ध में जमाबंदी प्रदर्श 1 बेचाननामा प्रदर्श 38 से साबित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी की खातेदार है। पी.डब्ल्यू. 2 ओमप्रकाश ने वादीगण के यहां काम करना जाहिर किया तथा कब्जा भी वादीगण का स्वीकार किया है। पी.डब्ल्यू. 2 व 4 ने भी अपने सशपथ बयानों में वादीगण का कब्जा स्वीकार किया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे को अस्वीकार किया परन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वादीगण के खातेदारी हकूकों को चैलेंज किया है। इस पर वकील वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण की ओर से सबसे अच्छी साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह स्वयं था जो जवाबदावे के बारे में कथन कर सकता था परन्तु प्रतिवादी प्रतापसिंह स्वयं साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई भी स्वतन्त्र मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की। केवल मात्र डी डब्ल्यु 1 जालमसिंह के बयान कराये है। वकील वादीगण ने अपनी बहस में यह जाहिर किया कि प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी स्वयं प्रतिवादी जालमसिंह ने अपनी उम्र 40 वर्ष होना जिरह में स्वीकार किया है। इससे साफ जाहिर है कि 40 वर्ष से अधिक पुरानी स्थिति के बारे में वह कुछ भी साक्ष्य नहीं दे सकता है। स्वयं डी.डब्ल्यू. 1 जालमसिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि किशोरसिंह एवं झूझार सिंह को देखने का काम नहीं पडा। झूंझार सिंह द्वारा किये गये बेचाननामे को स्वीकार किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को भी स्वीकार किया। प्रतिवादी गवाह डी.डब्ल्यू. 1 ने यह भी स्वीकार किया कि झूंझार सिंह द्वारा खींवराज के पक्ष में बेचाननामा प्रदर्श ए–2 को खारिज करवाने की कोई कार्यवाही न करना स्वीकार किया क्योंकि उसे इसकी जानकारी सन 2000 होने का कथन किया है। उसके द्वारा जिरह में यह भी कहा गया कि सन 2000 के बाद भी बेचाननामे को निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गई हैं। खींवराज के नाम जो नामान्तरकरण भरा गया उसके विरूद्व भी कोई कार्यवाही न करना स्वीकार किया। यह भी स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 126 में किशोरसिंह व प्रतापसिंह के नाम की खातेदारी नहीं रही है। डीडब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में अपने पिता के बारे में स्वीकार

13/2/24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

किया कि प्रतापसिंह आज की तारीख में घर पर है चल फिर सकते है और बोल सकते है। प्रतापसिंह को जितनी जानकारी है उतनी मुझे नहीं है। यदि झूंझारसिंह के स्वत्व के दस्तावेज सही पाये जाते है तो भी हम जमीन खसरा नम्बर 126 खाली नहीं करेंगे। डीडब्ल्यू 1 ने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में है। उपरोक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य के विवेचन से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खरीदसुदा खातेदारी भूमि है एवं प्रतिवादीगण का कब्जा अनाधिकृत पाया जाता है। इस प्रकार वादीगण अपनी तनकी को साबित करने में सफल रही है इस कारण यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2— आया प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि के कब्जा किये जाने की तिथि से बेदखली की तिथि तक शास्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के अधिवक्ता ने इस तनकी पर अपनी बहस में यह कथन किया कि प्रतिवादीगण से शास्ति दिलवाई जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद रिसीवर के कब्जे में है। इस कारण शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों को सुना गया एवं तथ्यों पर मनन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त जायदाद रिसीवर के कब्जे में है। इन परिस्थितियों में वादीगण को प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार की शास्ति नहीं दिलवाई जा सकती। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3— आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण जारी करवाये जाने की अधिकारिणी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दस्तोवेजी साक्ष्य बताकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि वादीगण रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण को रेकर्डेड खातेदारी अधिकार को सुरक्षित रखना न्यायसम्मत है। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों का जवाब देते हुए कहा कि वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। हमनें दोनों पक्षों को सुना एवं मनन किया। वादीगण जो कि रेकर्डेड खातेदार है न्यायालय का मत है कि रेकर्डेड खातेदार की उसकी खातेदारी भूमि की रक्षा करना न्यायसम्मत है इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

4— आया वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि गलत आधारों पर खातेदारी झूंझार सिंह के नाम दर्ज की गई। जबकि उक्त भूमि में किशोरसिंह का भी हिस्सा था। प्रतिवादीगण किशोरसिंह के पुत्र एवं पोत्रगण है। वकील वादीगण ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी झूंझारसिंह की खातेदारी भूमि थी। झूंझारसिंह ने अपनी भूमि खींवराज को बेचान की। तत्पश्चात खींवराज ने वादग्रस्त भूमि वादीगण को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया। इस प्रकार वादीगण रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के लिए वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। मैंने दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मनन किया। यह विधिसम्मत सिद्वान्त है कि रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि हेतु वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यह बिन्दू प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

5— आया प्रतिवादीगण मुखालपाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रदर्श ए—1 से प्रदर्श ए—5 पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी जालमसिंह परीक्षित करवाया गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस के दौरान बताया कि प्रदर्श ए—1 से ए—6 दस्तावेज से यह साबित होता है कि वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादीगण की

13/2/24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

पुश्तैनी जायदाद है एवं प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा बरकरार है। प्रतिवादीगण ने यह भी उल्लेख किया कि प्रदर्ष ए–1 बेचाननामा जो कि झूझारसिंह द्वारा खींवराज बोहरा के पक्ष में निष्पादित किया है जिसमें गॉव पाल की भूमि दर्षाई गई है। जब कि विवादग्रस्त जायदाद चौपासनी जागीर में है। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद के सम्बन्ध में जो दस्तावेज पेश किये है, उनसे प्रतिवादीगण को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। चुंकि झुझारसिंह की चौपासनी जागीर के अलावा कोई भुमि पाल गॉव में नहीं थीं ऐसा प्रतिवादी ने अपने बयानो में भी स्वीकार किया है एवं ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रतिवादी ने नहीं पेष किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि पाल में कोई भुमि झुझारसिंह की रही थी। वादीगण के अधिवक्ता ने पूरजोर अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद को झूंझारसिंह ने बेचान किया। उक्त बेचाननामों को प्रतिवादीगण ने आज दिन तक चैलेंज नहीं किया है और न ही खींवराज के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण को चैलेंज किया है और न ही वादीगण के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण को चैलेंज किया है। मैंने दोनों पक्षों को सुना और दस्तावेजी सबूतों पर गौर किया। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज वादग्रस्त जायदाद से संबंधित पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण का विधिक कब्जा साबित होता हो। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य के रूप में मात्र जालमसिंह को परीक्षित करवाया। प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर वाद को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं की जिससे प्रतिवादीगण का वैध कब्जा साबित होता हो। इस प्रकार प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहे है। इस कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

6– आया वादीगण का वाद विधिसम्मत होने से वादीगण को वाद लाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के अधिवक्ता ने इस तनकी को साबित करने हेतु अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद वादीगण के पूर्व क्रेता खींवराज द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामे के खरीद की गई उसका बेचाननामा प्रदर्श 14 है, जिसका बाद में नामान्तरण भरा गया जो प्रदर्श 15 है। वादग्रस्त भूमि खींवराज की खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा खातेदार खींवराज ने उक्त भूमि वादीगण को बेचान की गई जो बेचाननामा प्रदर्श 38 है और वादीगण के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण प्रदर्श 39 है। वादीगण की जमाबंदी प्रदर्श 1 है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार काबिज है। इस तनकी का विरोध करते हुए वकील प्रतिवादीगण ने कहा कि वादीगण को कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त जायदाद एकमात्र प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जायदाद है। मैंने दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही है कि वादग्रस्त जायदाद वादीगण की खरीदसुदा जायदाद है एवं वादीगण रेकर्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज है। हर खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिए कानूनन वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। अलावा यदि प्रतिवादीगण की पुष्तेनी जायदाद होती तो प्रतिवादीगण की अकेले न होकर लिक्ष्मणसिंह के सभी वारिसान की होती। प्रतिवादीगण ने लिक्ष्मणसिंह के किसी भी वारिसान के बयान नहीं कराये है जो यह ताईद करता की उक्त भुमि पुश्तैनी रही है। इससे यह भलिभॉति प्रमाणित है कि वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादगण की पुश्तैनी जायदाद नही रही है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

7– अनुतोष। दोनो पक्षों को सुना गया। वादीगण ने तनकी संख्या 1, 3, 6 को साबित करने में सफल रही है तथा प्रतिवादीगण तनकी संख्या 4 व 5 साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार वादीगण का वाद बहक प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

13/2/14

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जोधपुर (दक्षिण)

आदेश

वादीगण का वाद बाबत खसरा नम्बर 323/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मौजा चौपासनी जागीर तहसील व जिला जोधपुर को प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री किया जाता है। साक्ष्य अनुसार स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त जायदाद रिसीवर तहसीलदार जोधपुर के कब्जे में है। अतः तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 323/126 मौजा चौपासनी जागीर वाली भूमि का कब्जा वादीगण को सुपुर्द करें एवं प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 323/126 मौजा चौपासनी जागीर वाली भूमि के वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जोधपुर को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

13/2/24

(मनोज कुमार मीणा) आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

आदेश आज दिनांक 13-02-2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा) आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जोधपुर (दक्षिण)